फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

दिनेश कुमार सक्सैना बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बरः– 17 सन् 2018
RCMS No- 2018/00025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
30.04.18	यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री दिनेश कुमार सक्सैना, बजरंग कालोनी मिडवे के सामने जी0टी0 रोड धौलपुर ने लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के विरूद्ध पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक सुगम/सूअ/2018/2058 दिनांक 25.04.2018 की छायाप्रति पेश की है। जिसके द्वारा अपीलान्ट को चाही गई सूचना प्रेषित की गई है। पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी ने अपीलान्ट को उपलब्ध कराई गई सूचना (छायाप्रति संपरिवर्तन आदेश मय नक्शा) की प्रति भी पेश की है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शामिल पत्रावली किये जावे। लोक सूचना अधिकारी ने अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी है। अतः अपील पर आगे कार्यवाही का कोई औचित्य नही है। अपील पर कार्यवाही इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना उचित समझते है। अतः पत्रावली पर कार्यवाही इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा पेश सूचना की प्रति अपीलान्ट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम हो। शुचि त्यागी जिला–कलक्टर, धौलपुर	